

कार्यालय नियंत्रक विधिक माप विज्ञान,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
संख्या ६०५/निविमावि/मु०स०० प्र०-४५-प्रतिनिधायन /२०११
लखनऊ दिनांक ०/ अप्रैल २०११

—: कार्यालय ज्ञाप :—

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, २००९ (अधिनियम संख्या-१ सन् २०१०) की धारा-२४ की उपधारा-१ के अन्तर्गत मैं, राम चन्द्र नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, यह विनिर्दिष्ट करता हूँ कि कार्यमानक प्रयोगशालाओं/द्वितीयक मानक प्रयोगशालाओं में तैनात ज्येष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक, अपनी क्षेत्राधिकारिता की सीमा के अन्तर्गत, संव्यवहार या संरक्षण के लिए उपयोग में लाये जाने वाले या जिनका उपयोग में लाया जाना आशयित या संभाव्य है बाट या माप उपयोग में लाये जाने से पूर्व विधिक माप विज्ञान कार्यालय एवं कैम्प कार्यालय में युक्तियुक्त समय पर निर्धारित फीस प्रभारित करने के बाद सत्यापित/मुद्रांकित करेगा।

(राम चन्द्र)
नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

१. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-१, लखनऊ।
२. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
३. समस्त जिलाधिकारी।
४. समस्त उप नियंत्रक / सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग उत्तर प्रदेश।
५. समस्त ज्येष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक विधिक माप विज्ञान उत्तर प्रदेश।

(राम चन्द्र)
नियंत्रक
३

कार्यालय नियंत्रक विधिक माप विज्ञान,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
संख्या 606 / निविमावि / मु००७० प्र०-४५-प्रतिनिधायन / 2011
लखनऊ दिनांक ०। अप्रैल 2011

-: कार्यालय ज्ञाप :-

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-१ सन् 2010)
की धारा 48 की उपधारा-३ के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं,
राम चन्द्र नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित
करते हुए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन शक्तियों का प्रयोग करने और उन पर¹
अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त समस्त पूर्णकालिक उप
नियंत्रक, सहायक नियंत्रक वर्ग-१ एवं सहायक नियंत्रक वर्ग-२ को जनहित में इस
अधिनियम की धारा-४८ की उपधारा-३ में अकित धाराओं के अन्तर्गत और धारा-५३
की उपधारा-३ के अन्तर्गत बने नियमों के दण्डनीय अपराधों का शमन करने हेतु
एतदद्वारा प्राधिकृत करता हूँ।

(राम चन्द्र)
नियंत्रक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-१, लखनऊ।
 - समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
 - समस्त जिलाधिकारी/मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
 - समस्त उप नियंत्रक / सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग उत्तर प्रदेश।
 - समस्त ज्येष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक विधिक माप विज्ञान उत्तर प्रदेश।

Chandr/01/04/2011
(राम चन्द्र)
नियंत्रक
MR

कार्यालय नियंत्रक विधिक माप विज्ञान,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
संख्या ६०७ /निविमावि/मुद्रा० ५०-४५- प्रतिनिधायन / २०११--
लखनऊ दिनांक ०/ अप्रैल २०११

-: कार्यालय ज्ञाप :-

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-१ सन् २०१०) एवं उसके अन्तर्गत बड़ी उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, २०११ के नियम-६ के उपनियम-३ के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, राम चन्द्र नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, द्वितीयक मानक प्रयोगशाला के प्रभारी ज्येष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक को नियमावली के अनुसार निर्धारित समयान्तर्गत एवं पद्धति से द्वितीयक मानक तुला का सत्यापन एवं समायोजन करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत करता हूँ।

(राम चन्द्र)
नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-१, लखनऊ।

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-१, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उप नियंत्रक / सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग उत्तर प्रदेश।
5. समस्त ज्येष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक विधिक माप विज्ञान उत्तर प्रदेश।

(राम चन्द्र) ५/२०११
नियंत्रक

कार्यालय नियंत्रक विधिक माप विज्ञान,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
संख्या ६०७ / निविमावि/मु०३०प्र०-४५-प्रतिनिधायन / 2011
लखनऊ दिनांक ०१ अप्रैल 2011

-: कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली 2011 के नियम-11 के उपनियम-1 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, राम चन्द्र नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, कार्यमानक प्रयोगशाला के प्रभारी ज्येष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक को कार्यमानक प्रयोगशाला की क्षेत्राधिकारिता की सीमा के अन्तर्गत नियमावली की अनुसूची 2-क में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियमावली की अनुसूची 2-क में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियमावली की अनुसूची 2-क में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियमावली की अनुसूची 2-क में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत सीमा के अंतर्गत मरम्मतकर्ता तथा व्यवहारी लाइसेंस जारी करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ।

(राम चन्द्र)
नियंत्रक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1, लखनऊ।
 - समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
 - समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
 - समस्त उप नियंत्रक / सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग उत्तर प्रदेश।
 - समस्त ज्येष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक विधिक माप विज्ञान उत्तर प्रदेश।

(राम चन्द्र) १५/४/२०११
नियंत्रक

कार्यालय नियंत्रक विधिक माप विज्ञान,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
संख्या ६०७ /निविमावि/मु०सू०प्र०-४५-प्रतिनिधायन /२०११
लखनऊ दिनांक ०८ अप्रैल २०११

-: कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 के नियम-11 के उपनियम-2 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, राम चन्द्र नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, कार्यमानक प्रयोगशाला के प्रभारी ज्येष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक को कार्यमानक प्रयोगशाला की क्षेत्राधिकारिता की सीमा के अन्तर्गत अवस्थित बाट या माप के मरम्मतकर्ता और व्यवहारी के रूप में लाइसेंस के नवीकरण हेतु नियमावली की अनुसूची २-ख में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ।

(राम चन्द्र)
नियंत्रक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-१, लखनऊ।
 - समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
 - समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
 - समस्त उप नियंत्रक /सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग उत्तर प्रदेश।
 - समस्त ज्येष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक विधिक माप विज्ञान उत्तर प्रदेश।

(राम चन्द्र)
नियंत्रक
R

कार्यालय नियंत्रक विधिक माप विज्ञान,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
संख्या 610 / निविमावि / मु0स0प्रो-45-प्रतिनिधायन / 2011
लखनऊ दिनांक 01 अप्रैल 2011

कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 के नियम- 11 के उपनियम-4 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, राम चन्द्र नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, उप नियंत्रक/सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान को उनकी क्षेत्राधिकारिता की सीमा के अंतर्गत अनुसूची-4 में यथा विनिर्दिष्ट आवश्यक फीस के भुगतान होने पर एक कलेज़र वर्ष के लिए मरम्मतकर्ता तथा व्यवहारी लाइसेंस नवीकृत करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ।

(राम चन्द्र)
नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- प्रमुख संघिव, उत्तर प्रदेश शासन, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1, लखनऊ।
- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
- समस्त उप नियंत्रक / सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग उत्तर प्रदेश।
- समस्त ज्येष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक विधिक माप विज्ञान उत्तर प्रदेश।

(राम चन्द्र) १५/२०११
नियंत्रक


कार्यालय नियंत्रक विधिक माप विज्ञान,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
संख्या ६१। / निविमावि / मु०स०प्र०-४५-प्रतिनिधायन / २०११
लखनऊ दिनांक ७। अप्रैल २०११

-: कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, २०११ के नियम-११ के उपनियम-५ के परन्तुक के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, राम चन्द्र नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, उप नियंत्रक/सहायक नियंत्रक, चन्द्र नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान को उनकी क्षेत्राधिकारिता की सीमा के अंतर्गत लाइसेंस की विधिक माप विज्ञान को उनकी क्षेत्राधिकारिता की सीमा के अंतर्गत लाइसेंस की समाप्ति की दिनांक से ३ मास की अवधि के भीतर मरम्मतकर्ता एवं व्यवहारी लाइसेंस के नवीकरण के लिए अनुसूची-४ में विनिर्दिष्ट पूर्ण दर पर अतिरिक्त फीस के साथ आवेदन करने के लिए अनुज्ञा हेतु प्राधिकृत करता हूँ।

(राम चन्द्र)
नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-१, लखनऊ।
- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
- समस्त उप नियंत्रक / सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग उत्तर प्रदेश।
- समस्त ज्येष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक विधिक माप विज्ञान उत्तर प्रदेश।

(राम चन्द्र) १४/२०११
नियंत्रक
४

कार्यालय नियंत्रक विधिक माप विज्ञान,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
संख्या ६१८/निविमावि/मु०स०प्र०-४५-प्रतिनिधायन / २०११
लखनऊ दिनांक ०१ अप्रैल २०११

—: कार्यालय ज्ञाप :—

उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, २०११ के नियम-११ के उपनियम-६ के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, राम चन्द्र नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, उप नियंत्रक/सहायक नियंत्रक, विधिक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान को उनकी क्षेत्राधिकारिता की सीमा के अंतर्गत सरमतकर्ता एवं व्यवहारी माप विज्ञान को उनकी क्षेत्राधिकारिता की सीमा के अंतर्गत सरमतकर्ता एवं व्यवहारी लाइसेस रजिस्टर को अनुसूची-५ में दिये गये प्रक्रूप में अनुरक्षित करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ।

(राम चन्द्र)
नियंत्रक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—
- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-१, लखनऊ।
 - समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
 - समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
 - समस्त उप नियंत्रक / सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग उत्तर प्रदेश।
 - समस्त ज्येष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक विधिक माप विज्ञान उत्तर प्रदेश।

(राम चन्द्र) १५/३/२०११
नियंत्रक
०१

कार्यालय नियंत्रक विधिक माप विज्ञान,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
संख्या ६१३ /निविमावि/मु०स०प्र०-४५-प्रतिनिधायन / २०११
लखनऊ दिनांक ०/ अप्रैल २०११

-: कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, २०११ के नियम- १२ के उपनियम-१ के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, राम चन्द्र नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, उप नियंत्रक/सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान को उनकी क्षेत्राधिकारिता की सीमा के अन्तर्गत नियम-१२(१) के उल्लंघन करने पर उनके द्वारा निर्गत मरम्मतकर्ता एवं व्यवहारी लाइसेंस निलम्बित करते हुए अत्र एवं अत्र कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ।

(राम चन्द्र)
नियंत्रक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-१, लखनऊ।
 - समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
 - समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
 - समस्त उप नियंत्रक / सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग उत्तर प्रदेश।
 - समस्त ज्येष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक विधिक माप विज्ञान उत्तर प्रदेश।

Ram Chandra
(राम चन्द्र)
नियंत्रक
०/४/२०११

कार्यालय नियंत्रक विधिक माप विज्ञान,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
संख्या ६१५/निविमावि/मु०स०प्र०-४५-प्रतिनिधायन / २०११
लखनऊ दिनांक ०१ अप्रैल २०११ ..

—: कार्यालय ज्ञाप :—

उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, २०११ के नियम-१२ के उपनियम-२ के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, राम चन्द्र नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, उप नियंत्रक/सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान को उनकी क्षेत्राधिकारिता की सीमा के अन्तर्गत नियम-१२(२) में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन उनके द्वारा निर्गत मरम्मतकर्ता एवं व्यवहारी लाइसेंस निरस्त करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ।

(राम चन्द्र)
नियंत्रक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—
- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-१, लखनऊ।
 - समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
 - समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
 - समस्त उप नियंत्रक/सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग उत्तर प्रदेश।
 - समस्त ज्येष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक विधिक माप विज्ञान उत्तर प्रदेश।

(राम चन्द्र)
नियंत्रक
④

कार्यालय नियंत्रक विधिक माप विज्ञान,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
संख्या 615 / निविमावि/मु०स०प्र०-४५-प्रतिनिधायन / 2011
लखनऊ दिनांक ०। अप्रैल 2011

-: कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 के नियम- 12 के उपनियम-5 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए मैं, राम चन्द्र नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, उप नियंत्रक/सहायक नियंत्रक, विधिक नियंत्रक विज्ञान को उनकी क्षेत्राधिकारिता की सीमा के अन्तर्गत नियम-12(5) में निर्धारित माप विज्ञान के अधीन उनके द्वारा जारी मरम्मतकर्ता एवं व्यवहारी लाइसेंस के निरस्तीकरण प्रक्रिया के अधीन उनके द्वारा जारी मरम्मतकर्ता एवं व्यवहारी लाइसेंस के निरस्तीकरण के पश्चात ऐसे बाटों या मापों का जो लाइसेंस के निरस्तीकरण के दिनांक को उसके अधिकार, सुरक्षा व नियंत्रण में है, के निस्तारण करने हेतु लाइसेंसी के लिए समय बढ़ाये जाने एवं लाइसेंसधारक द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत बाट या माप के निस्तारण में असफल रहने की स्थिति में उनको अभिग्रहीत और निस्तारित कर यथा विनिर्दिष्ट रीति से आगम का वितरण करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ।

(राम चन्द्र)
नियंत्रक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1, लखनऊ।
 - समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
 - समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
 - समस्त उप नियंत्रक / सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग उत्तर प्रदेश।
 - समस्त ज्येष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक विधिक माप विज्ञान उत्तर प्रदेश।

(राम चन्द्र)
नियंत्रक

(R)

कार्यालय नियंत्रक विधिक माप विज्ञान,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या ६१६ / निविमावि / मु०स०प्र०-४५-प्रतिनिधायन / २०११

लखनऊ दिनांक ६ / अप्रैल २०११

-: कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्णन) नियमावली, २०११ के नियम- १५ के उपनियम-३ के अन्तर्गत मैं, राम चन्द्र, नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश एतदद्वारा विनिर्दिष्ट करता हूँ कि ऐसे बाट या माप जिसे उसके स्थान से हटाया नहीं जा सकता या हटाया नहीं जाना चाहिए, के सत्यापन/मुद्रांकन हेतु उपभोक्ता निम्नलिखित सुविधाएं ज्येष्ठ निरीक्षक/ निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान को उपलब्ध कराएगा :—

- कार्यालय से कार्यस्थल तक ज्येष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक के आने जाने एवं कार्यमानकों तथा परीक्षण उपकरणों को सुरक्षित ले जाने एवं वापस लाने हेतु समुचित वाहन की व्यवस्था करेगा अथवा वास्तविक व्यय का भुगतान करेगा।
- बाट या माप के सत्यापन/मुद्रांकन एवं समायोजन हेतु आवश्यक सामग्री यथा—शीशा, सीलिंग वायर आदि।
- परीक्षण बाट या माप के उठाई-धराई के लिए आवश्यक श्रमिक।

(राम चन्द्र)
नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—
१. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-१,
लखनऊ।

२. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
३. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
४. समस्त उप नियंत्रक / सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग उत्तर प्रदेश।
५. समस्त ज्येष्ठ निरीक्षक/ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान उत्तर प्रदेश।

(राम चन्द्र)
नियंत्रक
४

कार्यालय नियंत्रक विधिक माप विज्ञान,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
संख्या ६१७ / निविमावि/मु०स०प्र०-४५-प्रतिनिधायन / २०११
लखनऊ दिनांक ०/ अप्रैल २०११

-: कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, २०११ के नियम-१६ के उपनियम-१ के परन्तुक के अन्तर्गत मैं, राम चन्द्र नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश एतदद्वारा विनिर्दिष्ट करता हूँ कि किसी बाट या माप के आकार या स्वरूप के कारण उस पर स्टाम्प लगाना वांछनीय या साध्य नहीं है तो ऐसे बाट या माप के लिए ज्येष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक द्वारा केवल सत्यापन प्रभाण पत्र बाट या माप की विशिष्टताओं सहित निर्गत किया जाएगा।

(राम चन्द्र)
नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-१, लखनऊ।
- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
- समस्त उप नियंत्रक / सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग उत्तर प्रदेश।
- समस्त ज्येष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक विधिक माप विज्ञान उत्तर प्रदेश।

(राम चन्द्र)
नियंत्रक

कार्यालय नियंत्रक विधिक माप विज्ञान,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
संख्या ६१० / निविमावि/मुख्यूप्र०-४५-प्रतिनिधायन / २०११
लखनऊ दिनांक ०/ अप्रैल २०११

-: कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, २०११ के नियम-१७ के उपनियम-५ के अन्तर्गत मैं, राम चन्द्र नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता हूँ कि कोई बाट या माप, जिसे सत्यापन या निरीक्षण पर ठीक न पाया जाय, समायोजन के लिए सम्बन्धित व्यक्ति को उसमें पायी गयी त्रुटियों को सात दिनों से अनधिक अवधि के भीतर दूर करने के लिए निम्न प्रारूप में लौटा दिया जाएगा :-

प्रारूप
(उप्र० विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, २०११
के नियम-१७(५) के अधीन)

विधिक माप विज्ञान कार्यमानक प्रयोगशाला का नाम व पता.....
विधिक माप विज्ञान अधिकारी का नाम.....

क्र० सं०	उपयोक्ता या अधिकृत व्यक्ति का नाम व पता	बाट या माप का विवरण	पायी त्रुटियों का विवरण	गयी का अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

कोषागार रसीद सं० दि०
के माध्यम से कुल रु०
जमा किया गया।

दिनांक.....

हस्ताक्षर
विधिक माप विज्ञान अधिकारी

(राम चन्द्र)
नियंत्रक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-१, लखनऊ।
 - समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
 - समस्त उप नियंत्रक / सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग उत्तर प्रदेश।
 - समस्त ज्येष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक विधिक माप विज्ञान उत्तर प्रदेश।

(राम चन्द्र)
नियंत्रक
१०/०४/२०११

कार्यालय नियंत्रक विधिक माप विज्ञान,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
संख्या ६१९ / निवावि/मु०स०प्र०-४५-प्रतिनिधायन / २०११
लखनऊ दिनांक ०/ अप्रैल २०११

-: कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, २०११ के नियम-१८ के उपनियम-१ के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, राम चन्द्र नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, कार्यमानक प्रयोगशाला/द्वितीयक मानक प्रयोगशाला के प्रभारी ज्येष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक को कोषागार प्रपत्र संख्या-३८५ अथवा कोषागार प्रपत्र-२०९(१) (धनराशि जमा करने का चालान फार्म) के माध्यम से सत्यापन या पुनःसत्यापन फीस प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ।

(राम चन्द्र)
नियंत्रक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-१, लखनऊ।
 - समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
 - समस्त उप नियंत्रक, सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग उत्तर प्रदेश।
 - समस्त ज्येष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक विधिक माप विज्ञान उत्तर प्रदेश।

(राम चन्द्र)
नियंत्रक
०

कार्यालय नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
 संख्या 620 / नियमावधि / मु०सू०प्र०-४५-प्रतिनिधायन / 2011
 लखनऊ दिनांक ०१ अप्रैल 2011

-: कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 के नियम- 18 के उपनियम-2 के अन्तर्गत कार्यमानक प्रयोगशाला/द्वितीयक मानक प्रयोगशाला के प्रमाणी ज्येष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक द्वारा निम्न प्ररूप पर एक रजिस्टर अनुबित किया जाएगा जिसे प्रतिदिन भरा जाएगा और उसमें उस दिन के दौरान संग्रह की गयी फोटो और अन्य प्रभार की धनराशि अकित की जाएगी।

प्ररूप

(उ०प्र० विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011, नियम-18(2) के अधीन)

दिनांक	प्रमाण पत्र संख्या (नियम-16 (3)के अंतर्गत)	स्टोर संख्या-385 अथवा कोषागार बालान संख्या	बाटों की संख्या	बुलियन बाट बाट	केरेट बाट	सिलिङ्ड्रिकल नॉब टाइप बाट	चादरी घातु बाट	हेक्सागोनल लोह, नीब टाइप बाट और पेरेलेलो पाइपिंड बाट	उच्च कमता के मानक बाट	कमता गम्पों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

लघाई मापों की संख्या	स्टार्टिक का बना/ बुना हुआ/ स्टील फीता	फॉलिंग स्कल	सरक्षण चेन	बीम रस्केल वर्ग के खींक की संख्या	बीम रस्केल वर्ग ग और घ की संख्या	गैर- स्वचालित तील उपकरण- यांत्रिक(एनलॉग) वर्ग तीन और चार की संख्या	गैर- स्वचालित तील उपकरण- उपकरण- इलेक्ट्रॉनिक वर्ग तीन और चार की संख्या	गैर स्वचालित तील उपकरण, यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक वर्ग एक और वर्ग दो की संख्या	स्वचालित तील उपकरणों की संख्या	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

आयतन मापक उपकरणों की संख्या	फलोमीटर की संख्या	रेलीय मापक उपकरणों की संख्या	डाक्टरी धर्मान्तर की संख्या	पानी मीटर की संख्या	पेग मापक की संख्या	सी०ए०जी० डिसेंसर की संख्या	एल०पी०जी० डिसेंसर की संख्या		
डिस्पेंसिंग पम्प	योगकरण काउन्टर	अन्य उपकरण							
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

ग्राउन्टर मशीन की संख्या	कुल उपकरणों की संख्या	सत्यापन/ मुद्रांकन फोटो के उपयोग का अनुरोध पर आपी दर पर अतिरिक्त फोटो सहित)	अतिरिक्त फोटो	परिवहन और उतारी घरारी व्यय	प्रशमन फोटो	लाइसेंस फोटो	अन्य प्राप्तियाँ	कुल योग (कालम 33 से 38 तक का योग)	प्रयोगशाला प्रमाणी के हस्ताक्षर
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

(राम चन्द्र)
 नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उपमोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1, लखनऊ।

कार्यालय नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
 संख्या 620 /नियमावधि/मु०स०प्र०-४५-प्रतिनिधायन /2011
 लखनऊ दिनांक ०। अप्रैल 2011

-: कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 के नियम- 18 के उपनियम-2 के अन्तर्गत कार्यमानक प्रयोगशाला/द्वितीयक मानक प्रयोगशाला के प्रभारी ज्येष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक द्वारा निम्न प्रलूप पर एक रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा जिसे प्रतिदिन भरा जाएगा और उसमें उस दिन के दौरान संग्रह की गयी फीस और अन्य प्रभार की धनराशि अकित की जाएगी।

प्रलूप

(उ०प्र० विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011, नियम-18(2) के अधीन)

दिनांक	प्रमाण पत्र संख्या (नियम- 16 (3)के अंतर्गत)	रसीद संख्या-385 अध्यवाचोधार चालान संख्या	बाटों की संख्या						क्षमता मापों के संख्या
			बुलियन बाट	केरेट बाट	सिलिङ्गकल नैंब टाइप बाट	चादरी घात बाट (बुलियन से मिन्ने)	हेक्सागोनल लौह नैंब टाइप बाट और ऐरेलो पाइप बाट	उच्च क्षमता के मानक बाट	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अनन्य	लम्बाई मापों की संख्या			बीम स्केल वर्ग के और ख की संख्या	बीम स्केल वर्ग वर्ग ग और घ की संख्या	गैर- स्वचालित तौल उपकरण-यांत्रिक(एनलॉग) वर्ग तीन और चार की संख्या	गैर- स्वचालित तौल उपकरण-यांत्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक वर्ग तीन और चार की संख्या	गैर स्वचालित तौल उपकरण, यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक वर्ग एक और वर्ग दो की संख्या	स्वचालित तौल उपकरणों की संख्या			
	प्लाटिक का बना/ बुना हुआ/ स्टील फीता	फॉल्डिंग स्केल	सर्वेक्षण चेन									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			

आयतन मापक उपकरणों की संख्या डिस्पैसिंग पम	फ्लोरोमीटर की संख्या			खोलीय मापक उपकरणों की संख्या	झार्करी धर्मांगुठिटर की संख्या	पानी मीटर की संख्या	पेग मापक की संख्या	डिप्पेंसर की संख्या	एलपीओडी डिस्पेंसर की संख्या			
	काउन्टर का उपकरण	अन्य उपकरण	अन्य उपकरण									
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			

काउन्टर मशीन की संख्या	कुल उपकरणों की संख्या (कालम 4 से 31 तक का योग)	सत्यापन/मुद्रांकन फीस (उपयोक्ता के अनुग्रह दर पर अतिरिक्त फीस सहित)	अतिरिक्त फीस	परिवहन और उठावी घरावी व्यय	प्रशानन फीस	लाइसेंस फीस	अन्य प्राप्तियाँ	कुल योग (कालम 33 से 38 तक का योग)	प्रयोगशाला के हस्ताक्षर	
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	

(राम चन्द्र)

नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- प्रमुख संचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अन्भाग-1, लखनऊ।

2. समरत जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समरत उप नियंत्रक/सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. समरत ज्येष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश।

Ram Chandra
(राम चन्द्र) १५/१/२०११
नियंत्रक
✓

कार्यालय नियंत्रक विधिक माप विज्ञान,
उत्तर प्रदेश , लखनऊ
संख्या 624 / निविमावि/मु०स०प्र०-४५-प्रतिनिधायन / 2011
लखनऊ दिनांक ७। अप्रैल 2011

-: कार्यालय झाप :-

उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 के नियम-19 के उपनियम-6 के अन्तर्गत मैं, राम चन्द्र नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता हूँ कि नियम-19 के उपनियम-4 एवं उपनियम-5 के अधीन अभिग्रहीत माल जो सक्षम न्यायालय की कार्यवाहियों के विषय नहीं हैं, अभिग्रहण की समाप्ति के साथ दिनों के पश्चात, नीलामी की प्रक्रिया द्वारा विक्रय करते हुए आगम ट्रेजरी चालान द्वारा कोषागार में जमा किया जायेगा।

(राम चन्द्र)
नियंत्रक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1, लखनऊ।
 - समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
 - निदेशक, कोषागार उ०प्र०, लखनऊ।
 - समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
 - समस्त जिला मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ०प्र०, लखनऊ।
 - समस्त उप नियंत्रक / सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग उत्तर प्रदेश।
 - समस्त ज्येष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक विधिक माप विज्ञान उत्तर प्रदेश।

(राम चन्द्र) 14/3/2011
नियंत्रक
@

कार्यालय नियंत्रक विधिक माप विज्ञान,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
-- संख्या ६२१ / निविमावि / मु०स०प्र०-४५-प्रतिनिधायन / २०११
लखनऊ दिनांक ०। अप्रैल २०११

-: कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, २०११ के नियम-१८ के उपनियम-३ के अन्तर्गत मैं, राम चन्द्र, नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता हूँ कि कार्यमानक प्रयोगशाला / द्वितीयक मानक प्रयोगशाला में प्राप्त किये गये समस्त भुगतान को प्रयोगशाला प्रभारी द्वारा सरकारी कोषागार में विभागीय लेखा शीर्षक के अन्तर्गत सत्ताह में कम से कम एक बार प्रत्येक सोमवार को अनिवार्य रूप से जमा किया जायेगा किन्तु ₹०२०००/- से अधिक धनराशि किसी भी दशा में कार्यालय के कैशचेस्ट में नहीं रखी जायेगी बल्कि सत्ताह के अन्य दिवसों में भी यह धनराशि जमा की जायेगी तथा माह के दौरान कोषागार में जमा की गई समस्त धनराशि का सत्यापित विवरण सम्बन्धित सम्भागीय अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा ।

(राम चन्द्र)
नियंत्रक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-१, लखनऊ ।
 - निदेशक, कोषागार उ०प्र०, लखनऊ ।
 - समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
 - समस्त जिला मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी उ०प्र० ।
 - समस्त उप नियंत्रक / सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग उत्तर प्रदेश ।
 - समस्त ज्येष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक विधिक माप विज्ञान उत्तर प्रदेश ।

(राम चन्द्र)
नियंत्रक
१

कार्यालय नियंत्रक विधिक माप विज्ञान,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या ६२/निविमावि/मु०स०प्र०-४५-प्रतिनिधायन / 2011

लखनऊ दिनांक ६ अप्रैल 2011

-: कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 के नियम-19 के उपनियम-2 के परन्तुके अन्तर्गत मैं, राम चन्द्र नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता हूँ कि अभिग्रहीत और निरुद्ध बाट या माप या दस्तावेज या वस्तु को, सक्षम न्यायालय के आदेश के अधाव में, नीलामी की प्रक्रिया द्वारा विक्रय करते हुए को, आगम ट्रेजरी चालान द्वारा कोषागार में जमा किया जायेगा। बाट या माप की नीलामी में आगम ट्रेजरी चालान द्वारा कोषागार में जमा किया जायेगा। बाट या माप के निर्माणकर्ता, मरम्मतकर्ता और व्यवहारी ही प्रतिभागी केवल मान्यता प्राप्त बाट या माप के निर्माणकर्ता, मरम्मतकर्ता और व्यवहारी ही प्रतिभागी होंगे।

(राम चन्द्र)
नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1, लखनऊ।
2. निदेशक, कोषागार उ०प्र०, लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ०प्र०।
5. समस्त उप नियंत्रक / सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग उत्तर प्रदेश।
6. समस्त ज्येष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक विधिक माप विज्ञान उत्तर प्रदेश।

(राम चन्द्र) ५१२०॥
नियंत्रक
८

कार्यालय नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
 संख्या ६२५ /निविमावि/मु०स०प्र०-४५-प्रतिनिधायन /२०११
 लखनऊ दिनांक ०। अप्रैल २०११

—: कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, २०११ के नियम-१९ के उपनियम-३ के अन्तर्गत मैं, राम चन्द्र नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश एतदद्वारा विनिर्दिष्ट करता हूँ कि यदि अधिनियम की धारा-१५ के अधीन अभिग्रहीत कोई माल शीघ्रतया या प्रकृत्या क्षयशील है तो प्रश्नगत माल नियम-१९ के उपनियम-३ में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए निम्न प्ररूप में यथास्थिति व्यापारी या केता को वापस किया जायेगा।

प्ररूप

(उ०प्र० विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, २०११
 के नियम-१९(३) के अधीन)

विधिक माप विज्ञान कार्यमानक प्रयोगशाला का नाम व पता.....

विधिक माप विज्ञान अधिकारी का नाम.....

निरीक्षण का दिनांक.....

क्र० सं०	व्यापारी या उसका अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति का नाम व पता	माल का विवरण एवं मात्रा	पारी गयी अनियमितता का विवरण	अम्बुजित
1	2	3	4	5

हस्ताक्षर
 व्यापारी या उसका अभिकर्ता या
 अन्य व्यक्ति या गवाह

हस्ताक्षर
 विधिक माप विज्ञान अधिकारी

(राम चन्द्र)
 नियंत्रक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उपमोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-१, लखनऊ।
 - समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
 - समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
 - समस्त उप नियंत्रक / सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग उत्तर प्रदेश।
 - समस्त ज्येष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक विधिक माप विज्ञान उत्तर प्रदेश।

(राम चन्द्र)
 @ नियंत्रक

कार्यालय नियंत्रक विधिक माप विज्ञान,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
संख्या ६२५ / निविमावि / मु०स०प्र०-४५-प्रतिनिधायन / 2011
लखनऊ दिनांक ०१ अप्रैल 2011

-: कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 के नियम-23 के उपनियम-4 के परन्तुक के अन्तर्गत मैं, राम चन्द्र नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश एतदद्वारा विनिर्दिष्ट करता हूँ कि जिस उपयोक्ता के व्यापार भू-गृहादि में एक से अधिक तौल के उपकरण हैं, ऐसा उपयोक्ता अपने व्यापार भू-गृहादि में सबसे अधिक क्षमता वाले तौल के उपकरण की क्षमता के 1/4 भाग के बराबर सत्यापित और मुद्रांकित बाट रखेगा।

(राम चन्द्र)
नियंत्रक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उपयोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1, लखनऊ।
 - समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
 - समस्त ज़िलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
 - समस्त उप नियंत्रक / सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग उत्तर प्रदेश।
 - समस्त ज्येष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक विधिक माप विज्ञान उत्तर प्रदेश।

(राम चन्द्र)
नियंत्रक

